

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ, बिरौल।

कुशेश्वर स्थान थाना कांड सं० 118 / 2020

जी०आर०न० 330 / 2020

05.08.2020

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत मामला सूचक के लिखित आवेदन पर कु० स्थान थाना कांड सं० 118 दिनांक 06.05.20 अन्तर्गत धारा 341,323,324,307,354(B),379,504,506 / 34 भा०द०वि० अभियुक्त मिथिलेश पासवान एवं 06 अन्य के विरुद्ध दर्ज किया गया। अनुसंधानोपरांत अभियुक्त 1.मिथिलेश पासवान 2. देव पासवान 3. कालेश्वर पासवान 4. भूली देवी 5. रेखा देवी 6. वीना देवी 7. अंजली कुमारी के विरुद्ध प्रयाप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र सं० 196 दिनांक 02.07.20 कांड दैनिकी के साथ समर्पित किया गया तथा उनाक नाम आरोप पत्र के कंडिका 11(i) अंकित किया गया।

प्राथमिकी, आरोप-पत्र एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि कांड दैनिकी के कंडिका 4,6,7,8,9,10,18 के अनुसार प्राथमिकी में दर्ज सभी 07 अभियुक्तों 1.मिथिलेश पासवान 2. देव पासवान 3. कालेश्वर पासवान 4. भूली देवी 5. रेखा देवी 6. वीना देवी 7. अंजली कुमारी के विरुद्ध प्रयाप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोप पत्रित अभियुक्त 1 मिथिलेश पासवान एवं 06 अन्य के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 341,323,354(B),379,504,506 / 34 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध का मामला बनता हुआ पाया जाता है।

अतएव आरोप पत्रित सभी 07 अभियुक्तों 1.मिथिलेश पासवान 2. देव पासवान 3. कालेश्वर पासवान 4. भूली देवी 5. रेखा देवी 6. वीना देवी 7. अंजली कुमारी के के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 341,323,354(B),379,504,506 / 34 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है। अभिलेख को विधिवत जांच एवं विचारण हेतु निजि संचिका में रखा जाता है।

कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु उनके विरुद्ध सम्मन निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 02.11.2020 को उपस्थिति हेतु नियत किया जाता है।

लेखापित,



अपर मुख्य न्या०दण्डा०चतुर्थ।

T.R 191/20